न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना,कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
1983 / 2015(195 / 2013)	01.01.2015	04.12.2023

उनवान

1. कृष्ण पुत्र कैन्हया जाति अहीर
2. सत्यनारायण पुत्र कैन्हया जाति अहीर
3. रामकिशोर पुत्र कैन्हया जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र जगन जाति अहीर निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
2. शारदा बेवा देशराज जाति अहीर निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
3. नरेन्द्र पुत्र देशराज ना0बा0 जाति अहीर निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
4. योगेश पुत्र देशराज ना0बा0 जाति अहीर निवासी चावण्डी तह0 नीमराना जरिये सरपरस्त माता शारदा बेवा देशराज अहीर।
5. पूनम पुत्री देशराज जाति अहीर
6. आशा पुत्री देशराज जाति अहीर
7. मनीषा पुत्री देशराज जाति अहीर
8. उपपंजीयक नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।
10. शाखा प्रबंधक पी0एन0बी0 नीमराना।

तरतीबी प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरारहक मुताबिक बाहमी तबादला व हु0ई0दवामी।

उपस्थिति:–

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. हाल 363 / 0.58, 357 / 0.67 वाके ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना मे स्थित है। ख.नं. 363 / 0.58 के खातेदार काश्तकार वादीगण तथा 357 / 0.67 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 01 लगा. 08 है। हाल ख.नं. 363 / 0.58 वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की है जो असल प्रतिवादी सं. 01 लगा. 08 की अन्य आराजी के पास लगती हुई होने एंव ख0नं0 357 / 0.67 वादीगण की अन्य आराजी के पास लगती हुई होने की सूरत मे वादीगण व असल प्रतिवादी सं. 01 व असल प्रतिवादी सं. 02 लगा0 08 के पति / पिता देशराज ने अपने–अपने कब्जा काश्त की सहुलियत से आपस मे बाहमी तबादला दिनांक 25.06.1988 को मौजिजा व्यक्तियों की उपस्थिति मे किया था तब से मुताबिक बाहमी तबादला के काबिज है।
2. वक्त तबादला वादीगणकी आराजी ख.नं. हाल 363 / 0.58 कृषि भूमि अच्छी व समतल होने एंव ख0नं0 357 / 0.67 असल प्रतिवादी सं0 01 लगा. 08 की उबड़ खाबड़ व नरम जमीन होने की सुरत मे अच्छी बुरी करके 58 एयर वादीगण ने असल प्रतिवादी सं. 01 लगा. 08 को दी व 58 एयर के बदले मे 67 एयर ली

अधिकारी
कोटपूतली-बहरोड़)

जिसमें वादीगण ने काफी लागत लगाकर समतल कर के कृषि योग्य बनाई है। जिसमे वादीगण ने रिहायशी मकान भी बना रखे है जो खसरा गिरदावरी मे आबदी दर्ज है। मुताबिक बाहमी तबादला दिनांक 25.06.1988 के वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज चले आरहे है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बार–बार मुताबिक तबादला के अपनी खातेदारी दर्ज कराने के लिए कहते रहे तो प्रतिवादीगण कहते रहे कि अपना अपना कब्जा है आप ने मकान बना रखा है कभी समय मिलेगा या गांव मे कैम्प आदि लेगेगा उसमे सभी मौजूद रहेगे और अपने अपने नाम करवालेगे ऐसा कहकर आज तक टालबाल करते रहे है। अब असल प्रतिवादी सं. 01 लगा. 07 के मन मे बेईमानी आ गई है जो तबादला से मुकरने व वादीगण को बेदखल करने एंव दिगर लोगों को मुतकिल करने पर आमादा फिसाद है इसलिए अब बाहमी तबादला के अनुसार काबिज रहकर काश्त किया जाना संभव नही रहा है इसलिए दावा किया जाना लाजिम आया है।

3. अन्त मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:–

(क) डिक्री ईस्तकरारहक मुताबिक तबादला बाहमी बहक वादीगण विरूद्व असल प्रतिवादीगण सं0 01 लगा. 07 इस अमर की पारित की जावे कि ख.नं. हाल 363/0.58 से वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 भाग का प्रतिवादी सं. 01 को व 1/2 भाग का प्रतिवादी सं. 02 लगा. 07 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव ख.नं. 357/0.67 एयर से प्रतिवादी सं. 01 लगा. 07 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को संभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) डिक्री हु0ई0दवामी बहक वादीगण विरूद्व असल प्रतिवादीगण इस अमर की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण बाहमी तबादला के अनुसार वादीगण को हाल ख. नं. 357/0.67 वाके ग्राम चावण्डी से बेदखल नही करे ना ही उपभोग उपयोग मे मजाहमत पैदा करे। ना ही दिगर व्यक्ति को रहन बय करे मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष बैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए उसके विरूद्व दिनांक 26.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

5. वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि हेतु साक्ष्य मे स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01,गीतादेवी पत्नी बलजीत का शपथपत्र पी0डब्लू0 02, शारदा पत्नी जयपाल का शपथपत्र पी0डब्लू0 03 पेश किये व दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2067–70 प्रदर्श 01, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 02, नकल जमाबंदी संवत 2067–70 प्रदर्श 03, नकल नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 प्रदर्श 04, रसद पो0ओ0 प्रदर्श 05 पेश किये है।

6. वाद विचाराधीन रहते हुए आराजी विवादित के मौके पर कब्जो काश्त की रिपोर्ट नायब तहसीलदार से तलब की गई नायब तहसीलदार गांढण ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/कोर्ट/2022/530 दिनांक 05.07.2022 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

खण्ड अधिकारी
ना (कोटपूतली-बहरोड़)

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नकल जमाबंदी प्रदर्श 03 के अनुसार ख.नं. 357 प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज है तथा ख.नं. 363 प्रदर्श 01 के अनुसार वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है ख.गिरदावरी प्रदर्श 02 के

अनुसार ख0नं0 357 मे 05एयर भूमि आबादी मे अंकित है जिससे सावित है कि इस आराजी मे वादीगण के मकानात है। मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 के अवलोकन से भी साबित है कि ख.नं. 357/0.67 संपूर्ण पर वादीगण काविज होना अंकित है तथा ख.नं. 363/0.58 संपूर्ण पर प्रतिवादीगण का काब्जा होना अंकित है। इस मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण के इस अभिकथन की पुष्टि होती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी का बाहमी तवादला किया हुआ है तथा मुताबिक बाहमी तबादला के ही मौके पर काबिज काश्त है। मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण वाद बाखुबी साबित होता है वाद वादीगण डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

8. अतः आदेश है किः—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 के अनुसार डिक्री किया जाकर आ.ख.नं. हाल 363/0.58 से वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 भाग का प्रतिवादी स. 01 को व 1/2 भाग का व प्रतिवादी सं. 02 लगा. 07 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव ख.नं. 357/0.67 एयर से प्रतिवादी सं. 01 लगा. 07 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को संभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि उक्त आराजी पर किसी पक्षकार द्वारा हिस्सा बैंक रहन किया हुआ हो तो बैंक भार उसी के हिस्से मे आयी आराजी पर कायम किया जावे, तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

04-12-2023

पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराणा (कोटपुतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना,कोटपूतली—बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
1983 / 2015(195 / 2013)	01.01.2015	04.12.2023

उनवान

1. कृष्ण पुत्र कैन्हया जाति अहीर
2. सत्यनारायण पुत्र कैन्हया जाति अहीर
3. रामकिशोर पुत्र कैन्हया जाति अहीर निवासी ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र जगन जाति अहीर निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
2. शारदा बेवा देशराज जाति अहीर निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
3. नरेन्द्र पुत्र देशराज ना0बा0 जाति अहीर निवासी चावण्डी तह0 नीमराना।
4. योगेश पुत्र देशराज ना0बा0 जाति अहीर निवासी चावण्डी तह0 नीमराना जरिये सरपरस्त माता शारदा बेवा देशराज अहीर।
5. पूनम पुत्री देशराज जाति अहीर
6. आशा पुत्री देशराज जाति अहीर
7. मनीषा पुत्री देशराज जाति अहीर
8. उपपंजीयक नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।
10. शाखा प्रबंधक पी0एन0बी0 नीमराना।

तरतीबी प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरारहक मुताबिक बाहमी तबादला व हु0ई0दवामी।

उपस्थितिः—

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक: 04.12.2023

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07. 2022 के अनुसार डिक्री किया जाकर आ.ख.नं. हाल 363/0.58 से वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 भाग का प्रतिवादी स. 01 को व 1/2 भाग का व प्रतिवादी सं. 02 लगा. 07 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव ख.नं. 357/0.67 एयर से प्रतिवादी सं. 01 लगा. 07 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को संभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि उक्त आराजी पर किसी पक्षकार द्वारा हिस्सा बैंक रहन किया हुआ हो तो बैंक भार उसी के हिस्से मे आयी आराजी पर कायम किया जावे तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

04-12-2023

पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)